न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

अपील संख्या — 79 / 2014

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
हेमा पुत्र रूपाजी, जाति मीणा, निवासी दयालपुरा ,तहसील आहोर		1.सामा पुत्र अचला 2.मृतक नाथा पुत्र अचला के कायम मुकाम श्रीमति वगतू पत्नि अचला, जाति भील(फौत) के तथाकथित वारिसान:— 2 / 1.अर्जुन गोदपुत्र नाथा, जायन्दा पुत्र सामा 2 / 2.शान्ति पुत्री सामा, पत्नि कान्ति,जाति भील, निवासी पूरण, तहसील जसवंतपुरा 3.बगदा पुत्र केवा,जाति भील, निवासी रानीवाडा कला, तहसील रानीवाडा 4.अजाराम पुत्र वेनाजी, जाति भील, निवासी मेडकखुर्द,तहसील रानीवाडा 5.करताराम पुत्र परखाजी,जाति भील, निवासी चरपटीया, तहसील रानीवाडा 6.हंजा पुत्र सूरता, जाति भील, निवासी डूंगरी,तहसील रानीवाडा 7.हंजारी पुत्र भोमा, जाति भील, निवासी पहाडपुरा,तहसील सांचोर 8.मूलाराम पुत्र छोगाराम,जाति भील,निवासी खारा,तहसील सांचोर 9.श्रीमति रमी पुत्री प्रतापा, जाति भील,निवासी रानीवाडाकला,तहसील रानीवाडा 10.श्रीमति मंजु पुत्री प्रतापा,जाति भील, निवासी रानीवाडाकला,तहसील रानीवाडा11.अणदा पुत्र हिन्दू, जाति भील, निवासी डबाल, तहसील सांचोर

11.अणदा पुत्र हिन्दू, जाति भील,
निवासी डबाल, तहसील सांचोर
12.पोपटराम पुत्र हेमाजी,जाति
भील,निवासी डूंगरी, तहसील सांचोर
13.वेरसीराम पुत्र हेमाजी,जाति
भील,निवासी डूंगरी, तहसील रानीवाडा
14.पूरा पुत्र भाणा, जाति भील,निवासी
रानीवाडाकला,के कायम मुकामः–
14/1.मसरा पुत्र पूरा,
14/2.आसू पुत्र पूरा
14/3.रमेश पुत्र पूरा
14/4.कीका पुत्र पूरा
जाति भील, निवासी रानीवाडाकला,
तहसील रानीवाडा
14/5. श्रीमति डायी पुत्री पूरा, जाति
भील,निवासी रानीवाडाकला, तहसील
रानीवाडा
15.गणेशाराम पुत्र नानजीराम, जाति
भील,निवासी तावीदर, तहसील
रानीवाडा
16.लसाराम पुत्र पीराजी,जाति भील,
निवासी आजोदर,तहसील रानीवाडा
17.हरचंदराम पुत्र सुजानाराम ,जाति
भील,निवासी चाटवाडा,तहसील
रानीवाडा
18.शंकराराम पुत्र तलसाजी,जाति
भील, निवासी डोडवाडिया,तहसील
रानीवाडा
19.नरपत पुत्र हरसनराम, जाति भील,
निवासी रानीवाडाकला
20.जगमाल पुत्र सोनाजी
21.हरसन पुत्र सोनाजी,जाति
भील,निवासी रानीवाडाकला, तहसील
रानीवाडा
22.मसरा पुत्र सेन्धाजी

20.जगमाल पुत्र सोनाजी
21.हरसन पुत्र सोनाजी,जाति भील,निवासी रानीवाडाकला, तहसील रानीवाडा
22.मसरा पुत्र सेन्धाजी
23.बाबूराम पुत्र पीराजी,जाति भील,निवासी रानीवाडाकला, तहसील रानीवाडा
24.श्रीमति शारदा पुत्री भारताजी, पत्नि भरतकुमार,जाति भील, निवासी सेडिया, तहसील सांचोर
25.सांवलाराम पुत्र नवाजी,
26.बलवन्ताराम पुत्र नवाजी,जाति भील,निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल
27.प्रहलादसिंह पुत्र भवसिंह,जाति राजपूत, निवासी रानीवाडाकला
28.भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश तहसीलदार रानीवाडा ,दिनांक 13.6.2001(प्रकरण सं.6/2001)
उपस्थिति :—
1.श्री नीखिल दवे,अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2.श्री त्रिलोकचंद मेहता,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.3,4,612,13की ओर से।
3.श्री तेजसिंह बालावत्,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं. 2/2की ओर से।
4.श्री नवीनकुमार गहलोत,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1,17,22,23 की ओर से।
5.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं. 28 की ओर से।
6.दीगर रेस्पोडेन्टगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 9.7.2019

1. यह प्रकरण श्रीमान् जिला कलेक्टर के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ, इसमें अपीलांट के अनुसार अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि स्वर्गीय नाथा व सामा पिसरान् अचलाजी,जगमाल,हरसन पिसरान् पुनाजी,रमी पुत्री प्रतापजी,पूरा पुत्र भानाजी,बगदा पुत्र केवाजी, जाति भील निवासी रानीवाडा व सांवलाराम ,बलवंताराम पिसरान् नवाजी,जाति भील ने सरहद मौजा रानीवाडाकला के आराजी खसरा नम्बर1255 रकबा 0.42 हेक्टर,किस्म बारानी द्वितिय,खसरा नम्बर 1127रकबा0.01 हेक्टर किस्म गैर मुमकित तेड,खसरा नम्बर 1254 रकबा 0.01 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 1259रकबा3.50हेक्टर किस्म चाही द्वितिय का एक विभाजन प्रस्ताव अधिनस्थ न्यायालय भूमिधारी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके अनुसार

खसरा नम्बर 1255 में से सांवलाराम पुत्र नवाजी का 0.22 हे. ,बलवंताराम को 0.20हे.भूमि दी गई,खसरा नम्बर 1259 में से 0.16 हे. बगदा को दी गई,खसरा नम्बर 1259 का शेष रकबा तमाम खातेदारान् के संयुक्त रूप से रखा गया,इसी प्रकार खसरा नम्बर 1127,1256,1257 की भूमि शामलाती रखी गई,जिस पर तहसीलदार द्वारा आदेश जैर अपील विभाजन आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है। स्वर्गीय श्रीमति वगतू द्वारा 0.24 हे . रेस्पोडेन्ट सं.6को,रेस्पोडेन्ट सं.6द्वारा उक्त भूमि 7 को तथा रेस्पोडेन्ट सं.7 द्वारा उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट सं.8को बैचान की गई, श्रीमति वगतू द्वारा 0.16हे. भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 12 को बैचान की गई ,रेस्पोडेन्ट सं. 12द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि रेस्पोडेन्ट सं.13को बैचान की गई,रेस्पोडेन्ट सं. 9व10 द्वारा अपनी भूमि रेस्पोडेन्ट सं.11को बैचान की गई,रेस्पोडेन्ट सं.14/1 ने 14/5 द्वारा अपना हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं.15 को बैचान किया,रेस्पोडेन्ट सं. 15द्वारा अपना हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 16को बैचान किया गया,रेस्पोडेन्ट सं. 16 द्वारा अपना हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं.17को बैचान किया गया,रेस्पोडेन्ट सं.20,21 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं.22 व 23 को बैचान किया गया ,रेस्पोडेन्ट सं. 18 द्वारा अपना हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं.19को बैचान किया गया,रेस्पोडेन्ट 24—शारदा द्वारा खसरा नम्बर 1255 व 2147/1255 दोनो खसरा नम्बर में से 0.047 हेक्टर,0.04 हेक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट सं.27 को बैचान किया गया। स्व.नाथा एवं रेस्पोडेन्ट—सामा द्वारा खसरा नम्बर 1259 में से 0. 16 हेक्टर भूमि का बैचान रेस्पोडेन्ट—बगदा को दिनांक 12.2.1996को किया गया है तथा उस समय वादग्रस्त भूमि अविभाजित थी परन्तु बैचाननामें में खसरा नम्बर 1257 के पास अंकित करते हुए बैचाननामा निष्पादित किया गया जिसमें अन्य खातेदारान् की किसी प्रकार की सहमति नही थी जिससे उप पंजीयक को भी बैचाननामा रजिस्टर्ड नही करना चाहिये था।विभाजन का जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ उसके साथ किसी प्रकार का नक्शा संलग्न नही किया गया एवं न ही विभाजन प्रस्ताव एवं विभाजन माफिक कानून अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने पक्षकारान् को पढकर सुनाया व समझाया गया ही है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व ही पारित कर दिया,भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्टदिनांक 16.6. 2001की लगी हुई है एवं विभाजन आदेश तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का दिनांक 28.6.2001को निर्देशो के साथ प्रस्तुत किया। विभाजन आदेश में न तो किसी प्रकार का रास्ते का उल्लेख किया गया है जिससे स्पष्ट रूप से प्रकट होता हैं कि उक्त विभाजन रेस्पोडेन्ट बगदा को फायदा पहुंचाने की नियत से किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.3.1999 को जिस समय खातेदार के मध्य विभाजन नही हुआ था ,बैचाननामें के आधार पर

रेस्पोडेन्ट–बगदाराम के नाम 1600 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण दिनांक 22.3.1999को पारित कर दिया जबकि विभाजन के अभाव में किसी प्रकार का रूपान्तरण माफिक कानून नहीं किया जा सकता। निवेदन के पश्चात् खसरा नम्बर 1259 रकबा 0.16 हेक्टर रेस्पोडेन्ट–बगदा राम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया एवं अन्य खातेदारान् के सामलाती में 1259/2148 रकबा 0.64हेक्टर भूमि रखी गई,जब किसी भूमि का आवासीय भूमि का रूपान्तरण किया जाता हैं तो वह भूमि कृषि भूमि नही रह जाती । अधिनस्थ न्यायालय ने अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट–श्रीमति शारदा से खसरा नम्बर 1127 रकबा 0.01हेक्टर,1254रकबा 0.01हे., 1257 रकबा 0.01हे., 1259 रकबा 0.16 हे. में से 0.01हेक्टर,1259/2148 में से 0.76 हे.,खसरा नम्बर 1255/1में से 0.02 हे. भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 20.9. 2012 को खरीद की है,श्रीमति शारदा के नाम म्युटेशन सं.1507दिनांक 18.5. 2012 को भरा जाकर स्वीकृत किया गया है जिसके माध्यम से रेस्पोडेन्ट बगदाराम को बैची गई भूमि में से उसका रकबा 0.01 हेक्टर रकबा कम किया गया है तथा अन्य भूमियों में से पृथक पृथक रकबा दिया गया है। इससे स्पष्ट हैं कि विभाजन राजस्थान टिनेन्सी पार्टीसन रूल्स के विपरीत हुआ है। मूल आराजी के मूल खातेदार जगमाल,प्रतापा,हरसन पिसरान् सोना, चुन्नी बेचा सोना,धुका ,भारता पिसरान् पूनमा,पूरा पुत्र भाना ,सामा,नाथा पिसरान् अचला थे तथा भारता के एक पुत्री शारदा होते हुए भी उसे गलत रूप से इग्नोर कर पूनमा के स्थान पर भारता व उसके स्थान पर किसी को वारिस के स्थान में नही जोडा गया।रेस्पोडेन्ट सं. 2/1 व 2/2 पर बही भाट के चोपडे के आधार पर नाथा के वारिसान् बताते हुए तहसील रानीवाडा में कार्यवाही की गई है,इस कारण पक्षकार बनाया गया है, रेस्पोडेन्ट शारदा द्वारा दावा करने व डिक्री होने पर उसका नाम जोडते हुए उसका नाम इन्द्राज किया गया तथा उसी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि खरीद की गई जिससे अपीलांट के उक्त विभाजन के अधिकार प्रभावित होते है तथा अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव व आदेश को चुनौति देने का अधिकार प्राप्त होने से अपील के माध्यम से चुनौति दे रहे है,अधिनस्थ न्यायालय में विभाजन के समय अपीलांट पक्षकार नही था परन्तु वह श्रीमति शारदा के फुटपिन्ट पर आया है, श्रीमति शारदा के नाम से जो म्युटेशन भारता की वारिस मानते हुए भरा गया है जिससे अपीलांट के अधिकार प्रभावित करते है जिसे अपील करने का पूर्ण अधिकार है। इस प्रकार धारा96 सी.पी.सी. का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अपीलांट दिनांक 21.9.2014 को अपनी

वादग्रस्त आराजी पर गया तो देखा कि रेस्पोडेन्ट बगदा व उसके काफी सहयोगी खसरा नम्बर 1259की भूमि पर निर्माण कार्य करवा रहे है जबकि रूपान्तरण आदेश के बावजूद 0.01हे. भूमि कम की जा चुकी है। अपीलांट ने निर्माण कार्य बाबत् कहने पर रेस्पोडेन्ट बगदाराम ने बताया कि बैचाननामा निष्पादित करवा दिया,सडक से लगती हुई भूमि का रूपान्तरण भी करवा लिया जिस पर अपीलांट दिनांक 22.9.2014 को जालोर आया व आदेश जैर अपील नकल मांगी जो दिनांक 26.9.14 को मिलने पर अपील अन्दर म्याद की है। अपीलांट आदेश जैर अपील का ज्ञान दिनांक 21.9. 14व26.914 से पूर्व कभी नही हुआ। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र तथा 96सी.पी.सी. का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ निर्णय दिनांक 13.6.2001 आदि की नकले पेश की ,इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. रेस्पोडेन्ट सं.3 की ओर से दिनांक 19.2.15 को अपील का जवाब पेश किया कि अपीलांटने अपील में विवादित खसरा नम्बर का म्युटेशन शारदा के नाम भरा जाना व अपीलांट ने शारदा से आराजी को खरीद करना बताकर शारदा के फुटप्रिन्ट पर अपील करना बताया है,शारदा को शुरू से ही बंटवाडा की जानकारी है तथा अपीलांट स्वयं भी उक्त बंटवाडा वर्ष2001 में होना स्वीकार किया है लेकिन शारदा के द्वारा बावजूद जानकारी के बंटवाडा आदेश के विरूद्ध अपील नही की गई, यदि शारदा बंटवाडा को लेकर विवाद करती तो वह आवश्यक रूप से अपील करती।शारदा के फुटप्रिन्ट पर अपीलांट को अपील करने का अधिकार नही है तथा अपील 13 साल पश्चात् की गई है जो देरीना होने से म्याद बाहर होने से निरस्त करने योग्य है। अपीलाधीन बंटवाडा सह—खातेदारो की सहमति से हुआथा तथा सहमति का उल्लेख अपीलाधीन बंटवाडा आदेश में व प्रस्ताव में है तथा बंटवाडा होने के समय शारदा या अपीलांट खातेदार नही थे,पश्चात्वर्ती खातेदार को बंटवाडे को चैलेन्ज करने का अधिकार नही है। अपीलांट ने शारदा के हक में दिनांक 18.5.12को म्युटेशन भरे जाने का कथन किया है,इससे पूर्व शारदा भी खातेदार नही थी। शारदा ,भारता की पुत्री है तथा स्वयं अपीलांट ने धुखा व भारता पिसरान् पुनमा होना बताया है तथा भारता के स्वर्गवास के पश्चात् भारता के हिस्से की खातेदारी आराजी का म्युटेशन धुखा के नाम भरा गया ,तत्पश्चात् शारदा ने स्वयं की खातेदारी हेतु सहायक

कलेक्टर रानीवाडा के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जिस वाद को गलत तौर पर डिक्री किया गया है जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी के यहां पेश की है। वाद के तथ्यों के अनुसार भारता की जमीन का म्युटेशन धुखा में हो जाने से धुखा के नाम हुए इन्द्राज में से ही शारदा की खातेदारी घोषित की जानी चाहिये लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने सभी खातेदारों की आराजी में से ही शारदा की खातेदारी घोषित की है।अपीलांट ने शारदा को गलत तौर पर रेस्पोडेन्ट बनाया गया है क्योंकि अपीलांट के अनुसार वह शारदा की खातेदारी आराजी खरीद चुका है और शारदा का राजस्व रैकार्डमें अपील के दिन इन्द्राज नही है। धुखा व भारता वाली आराजी का अकृषि कार्य हेतु स्पेस्फिक हिस्से का रूपान्तरण हो चुका है और शारदा के हक हकूक समाप्त हो चुके है लेकिन डिक्री पालना में शारदा के द्वारा कब्जा लेने की स्थिति में नही होने के कारण तुरन्त उसके द्वारा आराजी का बैचान कर दिया गया है।अपीलांट ने अपील में जानबूझकर भारता की आराजी का म्युटेशन धुखा के नाम हो जाने बाबत् तथ्यों को छिपाया है। बंटवाडे के समय शारदा या अपीलांट सह–खातेदार नही थे जिससे उन्हें बंटवाडा चैलेन्ज करने का अधिकार नही हैं,सभी खातेदारों के पजेशन सैटल हुए गत करीबन् 14–15 साल हो चुके है।अतःउक्त तथ्यों को रैकार्ड पर लेकर पत्रावली में शामिल करने हेतु निवेदन किया।

3. अपीलांट के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र का जवाब रेस्पोडेन्ट सं.3 ने दिनांक 19.2.15को पेश किया कि शारदा को शुरू से ही बंटवाडा की जानकारी है तथा अपीलांट स्वयं ने उक्त बंटवाडा वर्ष2001 मे होना स्वीकार किया है लेकिन शारदा ने बावजूद जानकारी के बंटवाडा आदेश के विरूद्ध अपील नही की गई।शारदा को फुटप्रिन्ट पर अपीलांट को अपील करने का अधिकार नही है तथा अपील 13साल पश्चात् की गई है जो काफी देरीना करने से म्याद बाहर होने से निरस्त करने योग्य है।अतःअपील अपीलांट म्याद बाहर होने से खारिज करावे।

4. अपीलांट वकील ने धारा 96 सी.पी.सी.का प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट शारदा से खरीद की गई आराजी का म्युटेशन उसके नाम भरा जाकर स्वीकृत किया गया है, रेस्पोडेन्ट बगदा के नाम विभाजन से पूर्व ही गैर कानूनी तरीके से रूपान्तरित आदेश पारित किया गया है तथा अपीलांट का हित वादग्रस्त आराजी में निहित होने से ,उसके अधिकार प्रभावित होने से अपीलांट को विभाजन आदेश दिनांक 13.6. 2001 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जावे। अपीलांट के

धारा 96 सी.पी.सी. का रेस्पोडेन्ट सं.3की ओर से जवाब दिनांक 19.2.15 को पेश किया कि अपीलांट के द्वारा चैलेन्ज किया गया आदेश दिनांक 13.6. 2001 का है जिस समय अपीलांट न तो खातेदार था ,न ही कब्जाधारी था तथा अपीलांट ने आराजी का क्रय करना बताया जिससे अपीलांट को पूर्व कार्यवाही चैलेन्ज करने का अधिकार नही है एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रावधान अपीलांट के लिए लागू नहीं होते है। अतःअपीलांट का धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थनापत्र खारिज करावे।

5. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई । अपीलांट वकील ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में बताया व अपीलाधीन आदेश निरस्त करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं. 3,4,612,13 के वकील ने अपने रेस्पोडेन्ट सं.3 के जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व अपीलांट की अपील निरस्त करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट–बगदा पुत्र केवा, जाति भील, निवासी रानीवाडाकला ने जरिये रजिस्टर्ड बैचान दस्तावेज खातेदारी हक दिनांक 22.2.96 से विवादास्पद भूमि मौजा रानीवाडाकला के खसरा नम्बर 1259 रकबा 3.50 हेक्टर में से नाथा,सामा के क्रमशः1/3,1/3 हिस्से में से 0.16 हेक्टर भूमि क्रय की तथा आपसी रजामंदी से तहसीलदार रानीवाडा के आदेश दिनांक 13.6.2001से बंटवाडा भी करवा लिया एवं तहसीलदार रानीवाडा के आदेश क्रमांकःराजस्व/50/99 371 दिनांक 22.3.99 से 1600 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भी करवा लिया। दिनांक 13.6.2001 को तहसीलदार रानीवाडा ने धारा 53(2) के तहत् किया गया बंटवाडा में रेस्पोडेन्ट–बगदा पुत्र केवा,जाति भील के हिस्से में खसरा नम्बर 1259 का रकबा 0.16 हेक्टर भूमि क्रम सं.3 पर दर्शाया गया है।

नामान्तरकरण सं. 1507 दिनांक 18.5.2012 द्वारा बगदाराम पुत्र केवाजी कौम भील के बजाय खसरा नम्बर 1259 रकबा 0.16 में बगदाराम पुत्र केवाजी कौम भील के 0.15 हेक्टर व शारदा पुत्री भारता कौम भील 0.01 हेक्टर का खातेदार दर्ज किया गया।

शारदा पुत्री भारता कौम भील साकिन रानीवाडाकला से खसरा नम्बर 1259 में से अपने 0.01 हेक्टर भूमि दिनांक 20.9.2012 को अपीलांट हेमा पुत्र रूपाजी,जाति मीणा,निवासी दयालपुरा द्वारा खरीद किया है सहित कुल 0.255हेक्टर भूमि भी खरीद की है।

इसी भूमि से सबंधित खसरा नम्बर 1259,1255,1127,1254,1257 बाबत् न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,पाली में सहायक कलेक्टर रानीवाडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.4.2012 (मु.नं.47/10) के विरूद्ध अपील सं.9/2014 ,बगदाराम बनाम शारदा ,विचाराधीन हैं।ऐसी स्थिति में श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी,पाली से अपील में पारित आदेशानुसार ही कार्यवाही की जाना युक्तिसंगत होगा।

आदेश

अपीलांट द्वारा तहसीलदार रानीवाडा के आदेश दिनांक 13.6.2001 (बंटवाडा प्र.सं.6/2001)के विरूद्ध प्रस्तुत अपील इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती हैं कि अपीलांट विवादित भूमि के सबंध में श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली में विचाराधीन अपील सं. 9/14 में पारित निर्णय के पश्चात् पुनः अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

S.d. 9/7/19
(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 9.7.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

S.d. 9/7/19
(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.23 15:18:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: